

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. लक्ष्मण पुत्र सुरजा जाति माली निवासी गांवडी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।

-प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम


मुकदमा नम्बर 402 / 2025
जीसीएमएस नं0 2025/669

आदेश

दिनांक 9/7/25

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम गांवडी पटवार हल्का गांवडी तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 567, 151 में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम "लिछमण पुत्र सुरजाराम" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "लक्ष्मण पुत्र सुरजा" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग समझा जावें। उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

मुद्रा


(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना